

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सीता शर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 247/2023 G.CMS/No.- 2023/135 दायरा दिनांक : 18.09.2023

सांवताराम उर्फ श्रवण पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला
श्रीगंगानगर राजस्थान। - वादी

बनाम
तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

- प्रतिवादी

उपस्थिति :-

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार - वादी

पैरोकार राज - प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



निर्णय

दिनांक : 26.06.2024

आज यह वादपत्र वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुआ। एडवोकेट पक्षकार उपस्थित व नायब तहसीलदार सूरतगढ़ उपस्थित। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत 2073 ता 76 के चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एस.टी.बी. की भूमि में वादी का नाम लिपिकिय त्रुटि से व राजस्व कर्मियों की भूल की वजह से श्रवण पुत्र देवीलाल लिखा गया है जबकि वादी का सही नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल लिखा जाना था जो वादी के आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड, व सरपंच के प्रमाणपत्र में अपना नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल लिखा गया है। वादी दावे के माध्यम से जैर प्रकरण रकबा चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 है0 हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम श्रवण पुत्र देवीलाल के स्थान पर सांवताराम पुत्र देवीलाल है। वादी का वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल है। वादी का नाम लिपिकिय त्रुटि व राजस्व कर्मियों की भूल की वजह से श्रवण पुत्र देवीलाल लिखा गया है जबकि वादी का सही नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल लिखा जाना था। वादी का वास्तविक नाम सांवताराम था मगर लिपिकिय त्रुटि व राजस्व कर्मियों की भूल के कारण राजस्व रिकॉर्ड में श्रवण पुत्र देवीलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल है। वादी के तमाम दस्तावेज व सरपंच प्रमाणपत्र में वादी का नाम सांवताराम है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में सांवताराम पुत्र देवीलाल दर्ज करवाने का मुस्तक है। श्रीमान जी इस

98
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमशः पेज 02 पर

(2) सांवताराम बनाम सरकार


प्रकार की दुरुस्ती एवं घोषणा करने में आप सक्षम है। चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 है0 हिस्सा में वादी का नाम श्रवण पुत्र देवीलाल के स्थान पर सांवताराम पुत्र देवीलाल दर्ज करने की घोषणा एवं दुरुस्त किया जावे। वादी द्वारा अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी हल्का को काफी बार कहा और अपने दस्तावेज भी दिये मगर हल्का पटवारी हल्का द्वारा नाम दुरुस्त नहीं किया गया व हल्का पटवारी को पुछने पर तुम नाम क्यों नहीं दुरुस्त करते तो स्पष्ट मना कर दिया। इसलिये यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र डिक्री किया जावे। वादी द्वारा शपथपत्र पेश किया गया। जिरह नील रही। साक्ष्य वादी अन्य ब्यान नहीं करवाना चाहता। साक्ष्य वादी बंद किये गये पत्रावली वास्ते बहस रखा गया।

विद्वान एडवोकेट वादी ने वादपत्र के कथनो को दोहराया और निवेदन किया कि एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 है0 हिस्सा में वादी का नाम श्रवण पुत्र देवीलाल के स्थान पर सांवताराम पुत्र देवीलाल का नाम दुरुस्त करते हुए खातेदारी कृषक घोषित किया जावे। वादी का वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र देवीलाल है जो कि वादी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, अन्य दस्तावेज व सरपंच की तस्दीक से स्पष्ट है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में सांवताराम पुत्र देवीलाल दर्ज करवाने का मुस्तक है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर मनन किया एवं साक्ष्य एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिये जाते है कि चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 है0 हिस्सा में वादी का नाम श्रवण पुत्र देवीलाल के स्थान पर सांवताराम उर्फ श्रवण पुत्र देवीलाल नाम घोषित किया जाता है एवं आदेश प्रदान किये जाते है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। इस आशय की डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26-06-2024 को सरे इज्लास सुनाया गया।


उपसवाह अधिकारी
सूरतमह (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
(बइजलास :- श्रीमती सीता शर्मा आर.ए.एस.)

--: परचा डिक्री :-

--: अनवान :-

सांवताराम उर्फ श्रवण पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। - वादी

बनाम


तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) - प्रतिवादी

वाद पत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 83 वर्ष 2017 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रुबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार व प्रतिवादी पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-



दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि चक 14 एस.टी.बी. के खाता नं. 32/31 के पत्थर नं. 27/319 (11) के किला नं. 11-12 में 0.506 है0 नहरी, 13-14 में 0.506 है0 अनकमाण्ड बारानी व किला नं. 15/1 में 0.038 है0, 17/1 में 0.177 है0, 18 ता 23 में 1.518 है0, 24/1 में 0.089 है0 अनकमाण्ड = 2.834 है0 (नहरी 0.506 है0, अनकमाण्ड बारानी 2.328 है0) व पत्थर नं. 27/320 (15) के किला नं. 1/1 में 0.203 है0 नहरी, 1/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 1/3 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.203 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 2/3 में 0.025 है0 खाला, 3/1 में 0.025 है0 खाला, 3/3 में 0.165 है0 नहरी, 3/4 में 0.025 है0 गै.मु.रास्ता, 9/1 में 0.114 है0 नहरी, 10/1 में 0.228 है0 नहरी, 11/3 में 0.013 है0 नहरी = 1.076 (0.926 है0 नहरी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान की कुल 3.910 है0 (1.432 है0 नहरी, 2.328 है0 अनकमाण्ड बारानी, 0.075 है0 गै.मु.रास्ता, 0.075 है0 खाला) भूमि में से 10/391 है0 हिस्सा में वादी का नाम श्रवण पुत्र देवीलाल के स्थान पर सांवताराम उर्फ श्रवण पुत्र देवीलाल नाम अंकित करना घोषित किया जाता है एवं आदेश प्रदान किये जाते हैं आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

नोज -----x----- मुबलिंग -----x----- बाबत -----x----- खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह -----x----- फस्टों की पालना -----x----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.06.24 को जारी किया गया।


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)